

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक खेलकूद, एन0सी0सी0, स्काउट/गाइड, एन0एस0एस0 एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक हेतु परीक्षाओं में बोनस अंक विषयक)

नियमावली

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, का आदेश क्रमांक एफ 13-34/2012/20-3 रायपुर दिनांक 31.08.12 के द्वारा मण्डल की परीक्षा/परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 30.04.2012 एवं मण्डल के परीक्षा समिति के बैठक दिनांक 09.12.2016 में प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव एवं इसी अनुक्रम में दिनांक 13.02.2018 को परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति के संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय कि अतिरिक्त विषय में बोनस अंक का वितरण नहीं किया जाय एवं शेष शर्तें यथावत के आधार पर सत्र 2017-18 से बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसी अनुक्रम में वर्तमान सत्रों में बोनस अंक प्रदान किया जाना है।

अतः छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा प्रेषित आदेश क्रमांक/2319/2189/2024/20-तीन, नवा रायपुर, दिनांक 17.12.2024 के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 में बोनस अंक प्रदान किए जाने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी नियममावली के बिन्दु क्रमांक (1) बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स. क्र. 05, बिन्दु क्रमांक 07 एवं बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V(A) कक्षा 10वीं तथा सूची-प्रपत्र-V(B) कक्षा 12वीं में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। अतः बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स्तर के आधार पर बोनस अंकों का वितरण निम्नानुसार है-

(1) बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ :- बोनस अंको का वितरण -

स.क्र.	गतिविधि का नाम	स्तर के अनुसार अंक वितरण						
1.	खेलकूद व्यक्तिगत एवं टीम खेल पदक प्राप्त	राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय				
		10 अंक	15 अंक	20 अंक				
2.	एन0 सी0 सी0	आर0डी0 परेड	मावलंकर शूटिंग	वायु सैनिक	नौसेना कैम्प	थलसेना कैम्प	डी0 कैट कैम्प	
		15 अंक		15 अंक	15 अंक		10 अंक	
3.	एन0 एस0 एस0	आर0 डी0 परेड						
		15 अंक						
4.	स्काऊट/गाइड	राज्यपाल	राष्ट्रपति					
		10 अंक	15 अंक					
5.	उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/ साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक	प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में उत्तीर्ण कराया हो।						
		10 अंक						

(2) पात्रता हेतु सामान्य शर्त :-

1. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउट/गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक बोनस अंक का लाभ उपलब्धि प्राप्त सत्र में ही दिया जाएगा।
2. खेलों में प्रथम से तृतीय स्थान तक समान लाभ दिया जाएगा।
3. बोनस अंक का लाभ केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ही दिया जाएगा।
4. बोनस अंक का लाभ केवल एक बार मुख्य परीक्षा में प्रदाय किया जाएगा परीक्षार्थियों को बोनस अंक मुख्य परीक्षा में परीक्षाफल उत्तीर्ण होने की दशा में ही अनुत्तीर्ण विषयों में आवश्यकता अनुसार अंक जोड़ा जायेगा। तथा शेष अंक महायोग में सम्मिलित किया जायेगा। अथवा अनुत्तीर्ण होने की दशा में पात्रता अनुसार बोनस अंक का महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पहले से ही समस्त विषयों में उत्तीर्ण है, तो बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पूरक अथवा क्रेडिट योजना के तहत आगामी परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त बोनस अंक स्वमेव निरस्त हो जायेगा। मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
5. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट/गाइड एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक गतिविधि में व्यतीत कार्य दिवसों एवं विद्यालय में उपस्थिति का योग मण्डल के नियमानुसार होना चाहिए। मण्डल के परीक्षा में प्रवेश संबंधी नियमों में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होता है विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की उपस्थिति मण्डल के नियमानुसार शिथिलनीय होगी।
6. गतिविधियों में संलग्न छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आवश्यक होने पर पृथक से समय दिया जाएगा।
7. भारतीय ओलम्पिक संघ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघों तथा संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्रदत्त प्रमाण पत्रों एवं मान्यता प्राप्त खेलों के विद्यार्थियों को ही बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।
8. स्कूल गेम्स एवं मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित ओपेन गेम्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बोनस अंक की पात्रता होगी।

(3) अंकसूची का निरूपण :- अंकसूची में वर्तमान व्यवस्था अनुरूप बोनस अंको को अतिरिक्त कॉलम में दर्शाया जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने पर इन अंको को ग्रेड्स में व्यक्त किया जाएगा। अंकसूची में बोनस अंक के सम्मुख (#) चिन्ह या अन्य कोई चिन्ह लगाकर **Foot Note** में उसका विवरण दिया जाएगा।

(4) बोनस अंक नीति :- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक को विभिन्न स्तरों पर निर्धारित बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. बोनस अंको का वितरण समस्त विषयों में किया जा सकेगा (अतिरिक्त विषय में बोनस अंक की पात्रता नहीं होगी।
2. कृपांक नीति के अतिरिक्त बोनस अंको का लाभ विद्यार्थी को दिया जायेगा।

उदाहरण :- यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है ऐसी दशा में छात्रहित में कृपांक प्राप्त करने वाले विषयों में भी निर्धारित बोनस अंक में से आवश्यकतानुसार बोनस अंक दिये जावें।

3. उत्तीर्ण होने की स्थिति में महायोग में बोनस अंको को जोड़ा जावे।

उदाहरण :- 310/500 है तो उसे 310+10 = 320/500 प्रदर्शित किया जावेगा।

4. अंक के सम्मुख (#) चिन्ह अंकित किया जावेगा।
5. समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने पर महायोग में बोनस अंको को जोड़कर श्रेणी प्रदान किया जावेगा।
6. बोनस अंक जोड़कर पूर्णांक से अधिक नहीं होना चाहिए।

उदाहरण :- 495/500, यदि 10 अंक देने है तो अधिकतम 05 अंक जोड़ना है।

7. सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कृपांक के साथ बोनस अंकों का लाभ उत्तीर्ण होने की दशा में ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार दी जायेगी।

बोनस अंको का विभाजन निम्न प्रकार से किया जावे

- (i) परीक्षार्थी का परीक्षाफल उत्तीर्ण होने के दशा में ही उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक अंक संबंधित विषय में जोड़े जावे। अतिरिक्त विषय में बोनस अंक या कृपांक की पात्रता नहीं होगी।
(ii) शेष अंक महायोग में जोड़े जावे।

8. एक से अधिक गतिविधि में प्रदर्शन की स्थिति में खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट/गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक में से किसी एक में जिसमें प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, का चयन कर विद्यार्थी को निर्धारित बोनस अंक प्रदान किया जा सकेगा।

(5) बोनस अंक नीति की प्रक्रिया :- (A) कक्षा 9वीं एवं 11वीं में निर्धारित बोनस अंकों का लाभ चयनित विद्यार्थी को नियमानुसार विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जावेगा इस हेतु :-

- I. संबंधित शाला के प्राचार्य की अध्यक्षता में 03 से 05 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए। समिति चयनित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों का परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों को देय निर्धारित अंकों के साथ सूची शाला की परीक्षा समिति/प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र - कक्षा 10वीं, 12वीं के अनुसार सौंपेगी।
II. इससे संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित शाला में सुरक्षित रखे जाएंगे जिनका समय-समय पर मण्डल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा सकेगा।
(B) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बोनस अंक का लाभ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जावेगा। बोनस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित की जावे।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रपत्र तैयार किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं -

- I. खेलकूद - व्यक्तिगत एवं सामूहिक में पदक प्राप्त - प्रपत्र-I (A) प्रपत्र-I (B)
II. एन0 सी0 सी0 - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-II (A) प्रपत्र-II (B)
III. एन0 एस0 एस0 - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-III (A) प्रपत्र-III (B)
IV. स्काउट एवं गाइड - चयनित/पुरस्कृत - प्रपत्र-IV (A) प्रपत्र-IV (B)
V. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/
साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक - चयनित/पुरस्कृत- प्रपत्र-V (A) प्रपत्र-V (B)

2. चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित की जावेगी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित की जावेगी।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट एवं गाइड के राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित की जावेगी।
5. खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड तथा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक से संबंधित विवरण का राज्य प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण निर्धारित समय सीमा तक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जायेगी।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी राज्य प्रमुख/विभाग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को निर्धारित समय सीमा तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
7. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

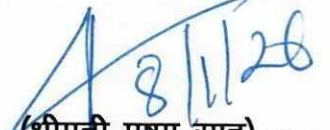
(6) अन्य निर्देश :-

1. मण्डल की वर्तमान कृपांक योजना यथावत रखी जाएगी।
2. मण्डल द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियमावली प्रकाशित की जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जायेगा।
3. समय-समय पर योजना की प्रचलित राज्यों का भली-भांति अध्ययन किया जाएगा।
4. बोनस अंको के बाद अधिकतम अंको का निर्धारण अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाएगा।
5. बोनस अंको का निर्धारण परीक्षा परिणामों के Moderation के समय किया जावेगा। यदि छात्र के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र है, तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लाभ हेतु चुना जायेगा।
6. क्रियान्वयन हेतु सभी संबद्ध कार्यालय प्रमुखों से समय-समय पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शी बिन्दुओं, क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा सकता है।
7. राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधि में भाग लेने के लिए सी.बी.एस.ई. के द्वारा प्रावधानित नीति के संबंध में छ.ग. राज्य शासन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रावधानित किया गया कि यदि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधि में भाग लेता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अर्हता हेतु आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत को शिथिल कर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 60 प्रतिशत से भी कम होती है तो छ.ग.मा.शि. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा (उचित माध्यम एवं प्रमाण के आधार पर) विचार किया जा सकेगा।

(7) उल्लास नव भारत कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के अनुदेशकों को परीक्षा बोनस अंक देने हेतु शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- (i) स्वयंसेवक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत हो।
- (ii) उसके द्वारा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
- (iii) शैक्षणिक सत्र के दौरान उसके द्वारा न्यूनतम 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का पठन -पाठन पूर्ण किया हो।
- (iv) स्वयंसेवक द्वारा पढ़ाये गये न्यूनतम 10 असाक्षर शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तथा सफल/उत्तीर्ण हुए हो।
- (v) जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव/जिला परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण से उपर्युक्तानुसार स्वयंसेवकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने पर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदान करने हेतु प्रदाय की जावेगी।

(8) बोनस अंक प्रदान करने की इस नीति में निर्वचन/संशोधन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को होगा।


(श्रीमती पुष्पा साहू) आई.ए.एस.
सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-I (A)-कक्षा-10वीं
गतिविधि-(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

1

सत्र

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो. नं.	खेल का प्रकार- व्यक्तिगत/ समूह	प्राप्त सीन	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
					प्रथम/द्वितीय/तृतीय						राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अंतर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-I (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

2

सत्र

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	खेल का प्रकार- व्यक्तिगत/ समूह	प्राप्त सीन	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
					प्रथम/द्वितीय/तृतीय						राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अंतर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।

03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।

05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।

07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(2) एन0सी0सी0 (पुरस्कृत)**

सत्र

3

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर.डी. परेड (15अंक)	मवलंकर शुटिंग (15अंक)	वायुसैनिक/नौसैनिक/थल सैनिक कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैंट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण— प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य/विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(2) एन0सी0सी0 (पुरस्कृत)**

सत्र

4

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर.डी. परेड (15अंक)	मवलंकर शुटिंग (15अंक)	वायुसैनिक/नौसैनिक/थल सैनिक कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैट-I परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य/विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(3) एन0एस0एस0 (पुरस्कृत)**

5

सत्र

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
									आर0 डी0 परेड हेतु (10 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(3) एन0एस0एस0 (पुरस्कृत)**

6

सत्र

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
								आर0 डी0 परेड हेतु (10 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणीकरण— प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य/विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-VI (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(4) स्काउट/गाइड (पुरस्कृत)**

7

सत्र

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-VI (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(4) स्काउट/गाइड (पुरस्कृत)**

8

सत्र

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्लू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(5) उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)**

9

सत्र

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में उत्तीर्ण कराया हो।
									10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)

नाम

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

राज्य/विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक से संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट गाइड एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

**छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(5) उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)**

सत्र

10

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में उत्तीर्ण कराया हो।
									10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य/विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक से संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट गाइड एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।